गो. वि. वि. छात्रसंघ की नयी आचार संहिता
परिसरों के गैर जनतांत्रीकरण की दिशा में एक और कदम

..... आंखों पर पट्टी ..... जुबान पर ताले ..... हाथों में किताब .....
खाकी वर्दी ..... डण्डे ..... संगीनें ..... बूट .....
खामोश! परिसर में ''जनतंत्र'' कायम है!

• सुनील चौधरी

पिछले एक दशक में देश के शिक्षा जगत में बाजारीकरण-व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति के साथ-साथ निरंकुशता और गैरजनतांत्रीकरण की प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। विगत सहस्त्राब्दि के अन्तिम दशक की शुरुआत में नरसिहंराव सरकार द्वारा उदारीकरण-निजीकरण की नयी आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र के बाजारीकरण के साथ छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों के हनन का एक अभूतपूर्व नया दौर शुरू हुआ। बाद की संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी इसे आगे बढ़ाया और भाजपा गठबन्धन की वर्तमान सरकार ने नयी आर्थिक नीतियों के दूसरे आक्रामक-खतरनाक दौर की शुरुआत के साथ इसे पूर्णतः एक उद्योग बना देने की गति को और तेज कर दिया है। इससे उत्पन्न छात्र-असंतोष से निपटने के लिए अपने तथाकथित जनतंत्र के बचे-खुचे चीथड़े को भी उतार फेंककर छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने-कुचलने की नयी-नयी साजिशें भी तेज कर दी हैं। इसी के तहत निरंकुशता के एक नये चक्र की शुरुआत हुई है जो सीधे-सीधे आम छात्रों के पढ़ने के अधिकारों और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच पर आने के न्यूनतम जनतांत्रिक अधिकारों के भी खिलाफ है। इसका एक ताजा उदाहरण गोरखपुर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा गैरजनतांत्रिक और मनमाने तरीके से मौजूदा छात्रसंघ के संविधान में संशोधन कर नयी आचार संहिता का बनाया जाना है। यह आम छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों पर किया गया भीषण कुठाराघात है।

जी हां, गो.वि.वि. छात्रसंघ संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को बिना छात्रसंघ कार्यकारिणी के दो तिहाई बहुमत से पास किये और आम सभा (जनरल असेम्बली) के आधे सदस्यों द्वारा स्वीकृत किये बगैर छात्रसंघ के वर्तमान संविधान को कुलपति महोदय ने अपने संरक्षकत्व में बदल कर एक नयी आचार संहिता बनायी है और आने वाले समय के लिए अपने खतरनाक मंसूबों के संकेत दे दिये हैं। वर्ष 1958-59 में हरेराम मिश्र के संयोजकत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान सभा द्वारा जारी और गो. वि.वि. के रजत जयन्ती वर्ष 1982-83 में छात्रसंघ कार्यसमिति द्वारा सम्पादित संविधान के अनुच्छेद-5 धारा-1 (र) (जिसमें संविधान संशोधन पर विचार के लिए आम सभा की बैठक होना और कुलपति अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक है) की धज्जियां उड़ाते हुए कुलपति महोदय ने छात्रसंघ पदाधिकारियों और आम छात्रों को चेतनहीन, भेड़-बकरी समझते हुए अपने को स्वयंभू न्यायाधीश बनाकर छात्रसंघ संविधान में संशोधन कर और नयी आचार संहिता बनाकर, उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी है। जो खाकी वर्दी और डण्डे के दम पर वि.वि. परिसर में ''जनतंत्र'' लागू करवायेगा। वैसे कुलपति महोदय से इससे कम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि ''जनतंत्र'' लागू करवाने के, वे पुराने शौकीन हैं और अपने छः महीने के कार्यवाहक कार्यकाल में 20 जनवरी 1994 को वि. वि. परिसर में आम छात्र-छात्राओं पर लाठियां तोड़वाकर अपने ''शौर्य'' का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। गजब का ''जनतंत्रप्रेम'' है कुलपति महोदय का और उसके प्रदर्शन का तरीका उससे भी अजब !

> **शिक्षा का बाजारीकरण और परिसरों में बढ़ रही निरंकुशता की प्रवृत्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे-जैसे शिक्षा के बाजारीकरण से उपजा छात्र-युवा असंतोष बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शासन-प्रशासन अपने दमनतंत्र को और अधिक चाक-चौबन्द कर रहा है।**

वि.वि. प्रशासन द्वारा बनायी गयी नयी आचार संहिता आम छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों पर खुला कुठाराघात है। इसके माध्यम से परिसर का अराजनीतिकरण और गैरनजतांत्रीकरण करने की साजिशें की जा रही हैं। पिछले दिनों उ० प्र० के राज्यपाल सूरजभान ने पत्रकार वार्ता में कहा भी था कि 'उम्र की सीमा निर्धारित कर देने से परिसर को अराजकता से मुक्ति मिलेगी और पेशेवर छात्र राजनीति पर अंकुश लगेगा।' कुछ इसी तरह की बात सिंचाई व उच्च शिक्षा मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने भी कही कि 'उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में तीन प्राथमिकताएं हैं

'सत्र का नियमन, नियमित कक्षाएं और कैम्पस को अवांछित व पेशेवर छात्र राजनीति से मुक्ति दिलाना।' और इसी के व्यावहारिक अमल के रूप में है गो.वि.वि. छात्रसंघ की नयी आचार संहिता।

आइये, कुलपति महोदय द्वारा आम छात्रों के लिए जारी किये गये हिटलरी फरमान— नयी आचार संहिता पर एक नजर डालें :-

- छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों की अधिकतम आयुसीमा 25 वर्ष निर्धारित। इसके लिए प्रत्याशी को एक शपथपत्र देना होगा।
- छात्रसंघ में छात्राओं को 33% प्रतिनिधित्व। यह व्यवस्था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री के पदों पर लागू नहीं होगी।
- न्यायिक समिति का पद समाप्त।
- पुरुष प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार हेतु महिला छात्रावास में प्रवेश पर प्रतिबन्ध।
- चुनाव प्रचार में वि.वि. परिसर, सार्वजनिक स्थलों व राजकीय भवनों, नागरिकों के आवासों, दुकानों पर पोस्टर-बैनर लगाने, 'वालपेन्टिंग' (दीवार-लेखन) करने पर प्रतिबन्ध। जुलूस पर भी रोक।
- चुनाव के बाद तीन दिन में खर्च का विवरण देना अनिवार्य।
- प्रत्याशी भारतीय दण्ड-संहिता तथा वि.वि. की अनुशासन-संहिता के अन्तर्गत किसी आपराधिक घटना में लिप्त एवं दण्डित नहीं होना चाहिए।
- प्रत्याशी को किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा उसकी युवा शाखा के द्वारा आगामी छात्रसंघ चुनाव के लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

ऐसा पहली बार हुआ है कि वि.वि. प्रशासन ने नयी आचार संहिता को लागू और उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी है।

अब, आइये, जरा इस नयी आचार संहिता के विभिन्न बिन्दुओं की चीरफाड़ की जाए। और यह देखा जाए कि किस तरह पेशेवर छात्र राजनीति का सफाया करने और अराजकता पर अंकुश लगाने की "चिन्ता" में घुले जा रहे उच्च शिक्षा के ठेकेदारों और जनतंत्र के पहरेदारों द्वारा बनायी गयी "ठोस, कारगर और व्यावहारिक" योजना एकदम अव्यवाहारिक है। किस तरह देश के संविधान की भांति इसका स्वरूप भी कागजी शगूफेबाजी है और किस तरह इसका चरित्र घनघोर छात्रविरोधी-जनतंत्रविरोधी है।

वि.वि. प्रशासन ने नयी आचार संहिता के अन्तर्गत प्रत्याशी की आयुसीमा 25 वर्ष निर्धारित करने के पीछे यह हास्यास्पद तर्क दिया है कि इससे पेशेवर छात्र राजनीति का खत्मा होगा और अराजकता से मुक्ति मिलेगी। बहुत खूब ! यानि कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले छात्रनेता ही परिसर में अराजकता फैलाते हैं। मान लीजिए, यदि इस नियम के लागू होने के बाद भी वि.वि०. में अराजकता बनी रही, तो क्या कुलपति जी इस आयुसीमा को घटाकर क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष तक लायेंगे ? (और तब, वि.वि. में इस उम्र का कोई छात्र रहेगा ही नहीं, लिहाजा छात्रसंघ भंग।) दरअसल वि.वि. प्रशासन यह चाहता है कि अपरिपक्व, अनुभवहीन और अक्षम पदाधिकारी छात्रसंघ में पहुंचें और प्रशासन की हां में हां मिलायें। ताकि छात्रसंघ को एक रीढ़विहीन संस्था में बदला जा सके। यदि वि.वि. में अध्ययन और मतदान करने की कोई आयुसीमा नहीं है तो फिर प्रत्याशी की ही आयुसीमा क्यों? लेकिन फिर भी यह महज एक तकनीकी तर्क है, जिसे अन्य छात्रनेता भी दे रहे हैं। मसला इससे अधिक संगीन है। प्रशासन यह बखूबी जानता है कि यदि प्रत्याशी 25 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे तो वे अधिक परिपक्व होंगे, उन्हें छात्र-समस्याओं की ज्यादा समझ होगी और देश की आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध को भी वे भलीभांति समझ सकेंगे। वि.वि. प्रशासन छात्रसंघ के

अगले सत्र में भारी शुल्क वृद्धि और सीटों में कटौती

विगत 9 जनवरी को राजधानी लखनऊ में प्रदेश के राज्यपाल सूरजभान (जो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं) की अध्यक्षता में कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में कई ऐसे अहम फैसले लिए गये हैं, जिसके तहत आम गरीब परिवारों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अर्जित करना लगभग नामुमकिन हो जायेगा, छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों को लगभग पूर्णतया छीन लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता लगभग पूरी तरह समाप्त हो जायेगी। सम्मेलन में हुए फैसलों के कुछ ही दिन बाद विगत 24 जनवरी को इस सम्बन्ध में शासनादेश भी जारी कर दिये गये हैं। महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर :

- प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों के बढ़ते खर्च को वहन नहीं करेगी। सारे अनुदान 1998-99 की राशि पर ही दिये जायेंगे। इसलिए, विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें। यानी, अगले सत्र से भारी शुल्कवृद्धि। शुल्कवृद्धि को रामरूप बनाने के लिए शासन बढ़ी हुई राशि को निर्धारित कर देगा। कुमायूं विश्वविद्यालय में मौजूदा सत्र से ही यह शुल्क वृद्धि लागू की जा चुकी है।
- उच्च शिक्षा की "गुणवत्ता" को और बढ़ाने के लिए अगले सत्र से सीटों में भारी कटौती। छात्रों के विरोध से निपटने के लिए कुलपति यह कहकर पल्लू झाड़ लें कि यह शासन का निर्णय है। शासन निपट लेगा।
- छात्रसंघों को पूरी तरह पंगु और विश्वविद्यालय प्रशासन की जी-हुजूरिया संस्था बनाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की तर्ज पर छात्रसंघों को डालने (जिसका ब्यौरा मुख्य आलेख में दिया गया है) वाले कदमों का अनुमोदन।
- सत्र नियमन के नामपर प्रवेश और परीक्षा की अन्तिम तिथियां घोषित और 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता लागू करने का निर्णय। ऊपरी तौर पर छात्रों का हित दिखायी पड़ने वाले इस निर्णय के पीछे की असली मंशा छात्रों की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करना एवं छात्रों पर शासन-प्रशासन के दण्डे का भय आरोपित करना है।
- पूरे प्रदेश में एक समान पाठ्यक्रम लागू। यह विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता पर कुठाराघात है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रमों जैसा समरूप बनाने का यह निर्णय वैचारिक स्वतंत्रता को हड़पना और उच्च शिक्षा को सत्ता-तंत्र द्वारा निर्देशित शिक्षा में तब्दील करना है। यह भाजपा द्वारा शिक्षा संस्थानों का भगवाकरण करने की मुहिम का ही एक अंग है।

माध्यम से शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को आम छात्रों तक पहुंचाने की किसी भी सम्भावना को कुचल देना चाहता है। अब छात्रसंघ संविधान के अनुच्छेद-1, धारा-2(अ) एवं (य) में छात्रसंघ के लक्ष्य और अभीष्ट के अन्तर्गत वर्णित 'छात्रों के जीवन 'को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न बनाकर' 'समाज को चैतन्य बनाने, विकसित करने एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों एवं क्रिया-कलापों को प्रारम्भ करने और उसकी व्यवस्था' का उद्देश्य महज कागजी बनकर रह जायेगा। सच्चाई यह है कि वि.वि. प्रशासन परिसर की ''पेशेवर छात्र राजनीति'' से कतई चिन्तित नहीं है। आयुसीमा का बैरियर लगाकर प्रगतिशील विचारों और शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को आम छात्रों तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधियों को छात्रसंघ में पहुंचने से रोकना चाहता है। शासन-प्रशासन इस बात से खौफजदा है कि सरकार की वर्तमान शिक्षा नीतियों से असन्तोष का जो लावा भीतर ही भीतर पक रहा है उसे संगठित करने का जो काम, चाहे यह जितने निम्न स्तर पर क्यों न हो, क्रान्तिकारी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि कर रहे हैं उससे परिसर में देश के क्रान्तिकारी परिवर्तन के भावी सिपाही तैयार हो रहे हैं। इसलिए ऐसे तत्त्वों को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दो।

गो.वि.वि. प्रशासन ने नयी आचार संहिता में छात्राओं को छात्रसंघ में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे लोकसभा चुनावों में महिलाओं को दिया गया 33 प्रतिशत आरक्षण। एक शगूफेबाजी ! जिस प्रकार देश के नीति-निर्धारकों और राजनीतिज्ञों को महिलाओं की चुनाव में भागीदारी को लेकर चिन्ता हुई थी, ठीक उसी प्रकार वि.वि. प्रशासन और कुलपति महोदय को भी छात्राओं की छात्रसंघ चुनाव में भागीदारी की चिन्ता हुई है। पुरुष प्रधान समाज और कम राजनीतिक चेतना के करण देश की राजनीति में मिले 33 प्रतिशत आरक्षण का फायदा, महिलाएं कितना उठा पा रहीं हैं, यह सर्ववंदित है। गो.वि.वि. में छात्राओं की स्थिति तो और भी बदतर है। परिसर के निरंकुश माहौल, अपनी कम राजनीतिक चेतना और पारिवारिक दबावों के चलते कभी-कभार इक्का-दुक्का छात्राएं ही चुनाव में खड़ी हो पाती हैं। ऐसे में छात्रसंघ कार्यकारिणी के 32 पदों में से 9 आरक्षित पद छात्राओं से कितना भर पायेंगे, यह तो भविष्य ही बताएगा। वि.वि. प्रशासन यह जानता है कि परिसर में छात्राओं की राजनीति में सक्रियता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ज्यादातर वे पद खाली ही रहेंगे और यदि किसी तरह वे भर भी गये तो उनकी कम राजनीतिक चेतना के कारण, उन्हें भी अन्य कम परिपक्व पदाधिकारियों के साथ आसानी से निर्देशित किया जा सकेगा।

न्यायिक समिति के पांच पदों को भी समाप्त करने के पीछे प्रशासन की मंशा यही है कि छात्रसंघ कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की संख्या कम से कम रहे।

छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं द्वारा भागीदारी करने की वि.वि. प्रशासन की चिन्ता का पोपलापन इस बात से जाहिर हो जाता है कि नयी आचार संहिता के अन्तर्गत चुनाव प्रचार हेतु पुरुष प्रत्याशियों का महिला छात्रावास में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तर्क यह है कि इससे अराजकता पर अंकुश लगेगा। यह समस्त पुरूष प्रत्याशियों और आम छात्रों का वि.वि. प्रशासन द्वारा किया गया खुला अपमान है। वि.वि. प्रशासन का यह तर्क अपने आप में ही अन्तरविरोधी और समझ से परे है कि जब 25 वर्ष आयुसीमा की बाध्यता लागू करके ''अराजकों'' को चुनाव से वंचित कर दिया गया, तो ये नये ''अराजक'' कहां से पैदा हो गये ? यह बात तो छात्राओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के खिलाफ जाती है। वैसे ही वर्तमान पुरुषप्रधान समाज में महिलाओं का पुरूषों से पार्थक्य और अलगाव बना हुआ है और वि.वि. प्रशासन पुरूष प्रत्याशियों का महिला छात्रावास में प्रवेश वर्जित कर इस अलगाव को और

कुलपति महोदय की कल्पनाओं का विश्वविद्यालय

(अभी कुछ दिनों पूर्व गो.वि.वि. के कुलपति महोदय ने एक अखबार के संवाददाता के साथ साक्षात्कार के दौरान अपनी कल्पना के विश्वविद्यालय को साकार करने की बात की थी। आइये, कल्पना की जाए, कुलपति महोदय की कल्पनाओं के विश्वविद्यालय की।)

ऊंची चहारदीवारी... कंटीले तार
पुलिस-पी.ए.सी. ... खाकी वर्दी..... बूट
लाठी-डण्डे-संगीनें... 'वज्र'
... और पिन ड्राप साइलेण्स
आंखों पर पट्टी... जुबान पर ताले
हाथों में किताब लिए लाइन में लगे छात्र
(कुलपति महोदय परिसर में 'राउण्ड' पर–छात्रों की आंखों की पट्टियां व जुबान पर लगे ताले खुले!)
सिस्टम कैसा है, सी.ओ. यूनिवर्सिटी ?
फाइन सर !
एनी प्राब्लम, चीफ प्राक्टर ?
नो सर !
डिसिप्लिन ?
कायम सर !
क्लासेज चल रहे हैं ?
यस सर !
अराजकता ?
नो सर !
पालिटिक्स ?
नो सर !
(अब, छात्रों से)
एनी प्राब्लम, स्टूडेण्ट्स ?
सारे छात्र : नो सर !
आई-कार्ड है ?
सारे छात्र : यस सर !
एस.एस.पी. की सील ?
सारे छात्र : यस सर !
कोर्ट की डिक्लियरेशन ?
सारे छात्र : यस सर !
गुड, वेरी गुड
यू आर दि रीयल स्टूडेण्ट्स ऑफ अवर यूनिवर्सिटी।
माई ओबिडिएण्ट ब्वॉएज-आई ऐम प्राउड ऑफ यू!

बढ़ाने का ही काम कर रहा है तथा दूसरी ओर शगूफेबाजी के तहत छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। वि.वि. प्रशासन के इस गड़बड़झाले को क्या कुलपति महोदय सुलझायेंगे ? यह आम छात्राओं की जागरुकता और सम्मान हासिल करने के प्रयास को हतोत्साहित करने की साजिश है, जो पुरुष वर्चस्ववादी सोच को प्रदर्शित करता है।

नयी आचार संहिता के अन्तर्गत वि. वि. प्रशासन ने पोस्टर-बैनर-वाल पेन्टिंग (दीवार-लेखन)-जुलूस आदि पर प्रतिबन्ध लगाकर छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी पर खुला हमला बोल दिया है। अभी तक तो वि. वि. परिसर के अन्दर प्रचार कार्य को तरह-तरह से प्रतिबन्धित करने की कोशिश हो ही रही थी, लेकिन अब वि.वि. प्रशासन ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वि.वि. परिसर, सार्वजनिक स्थलों व राजकीय भवनों, नागरिकों के आवासों, दुकानों पर 'वाल-पेन्टिंग' पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी है। नयी आचार संहिता का सबसे खतरनाक बिन्दु यही है कि छात्रसंघ चुनाव को ''ठीक तरीके'' से अंजाम देने के लिए खाकी वर्दी और डण्डे के जोर पर ''जनतंत्र'' कायम करना। वि.वि. प्रशासन ने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए कोई सूचना पट्ट भी नहीं बनवाया है, सिर्फ प्रचार के तरीकों पर रोक लगा दी है और यह सब ''जनतंत्र'' कायम करने के नाम पर हो रहा है। छात्र राजनीति के गिरते स्तर के बावजूद बी.एच.यू. में छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 'क्वालीफाइंग स्पीच' का सार्वजनिक आयोजन होता था। हालांकि आज, वहां पर अराजकता दूर करने के नाम पर छात्रसंघ को भंग किया जा चुका है। आखिर, फिर प्रत्याशी अपना प्रचार कैसे करेंगे ? क्या पर्चे छापकर ? क्या सभी प्रत्याशियों द्वारा पर्चे छापना सम्भव हो पायेगा ? इतने अधिक आर्थिक संसाधन आयेंगे कहां से?

असल में मामला यह है कि प्रचार के तरीकों पर प्रतिबन्ध लगाकर और ''साफ-सुथरा'', 'स्वच्छ-स्वस्थ' जनतंत्र लागू कर वि. वि. प्रशासन अपने प्रहार का असली निशाना छात्र राजनीति के व्यवस्थापरत पहरुओं को नहीं, बल्कि परिवर्तनकामी विचारों की वाहक शक्तियों को बनाया है। उन शक्तियों को जो- देश की आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में हो रहे खतरनाक बदलावों के दुष्परिणामों से असंतुष्ट व्यापक छात्र-युवा आबादी को समाज के अन्य वर्गों के आन्दोलनों के साथ गोलबन्द एवं संगठित कर एक नये मानवीय समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करते हुए परिसरों में आम छात्रों तक 'शिक्षा का सच्चा उद्देश्य शोषित, उत्पीड़ित मानवता की मुक्ति' का संदेश पहुंचा रहे हैं। इससे भयाक्रांत वि.वि. प्रशासन ने जिला प्रशासन से नयी आचार संहिता को लागू और उसका पालन करवाने की गुहार लगायी है। अब जिला प्रशासन खाकी वर्दी पहन व हाथों में डण्डा लेकर आम छात्रों को निदेशित कर जनतंत्र कायम करेगा एक निर्देशित जनतंत्र। यह है राज्यसत्ता का घनघोर छात्रविरोधी और जनतंत्र विरोधी चरित्र। जिसे उदयप्रकाश ने अपनी कविता में व्यक्त भी किया है-

''... प्रजा यदि तंत्र से टकराती है कहीं
तो तंत्र की हिफाजत में तैनात
बन्दूक की नाल से बोलती है
राज्यसत्ता
सुनो ! ऐ मेरी प्यारी-प्यारी प्रजा
तुम्हें तंत्र के भीतर ही
प्रजा होने का हक है। ...''

अभी कुछ वर्षों पूर्व हुए पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में नयी आर्थिक नीतियों के वर्तमान दौर में महंगी होती जा रही शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त व्यापक छात्र-युवा आबादी के आक्रोशों-विद्रोहों को कुचलने-दबाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में पुलिस चौकियां स्थापित करने, छात्रसंघों को खत्म करने और परिसरों को ''राजनीतिक कोलाहल'' एवं ''शोरगुल'' से मुक्त कर एक प्राइमरी स्कूल में तब्दील कर छात्रों को, जी सर... जी सर, करने वाले एक अचिन्तरशील प्राणी में बदल कर जी हुजूरिया बनाने की बात की गयी थी। इसी क्रम में धीरे-धीरे विभिन्न विश्वविद्यालयों को प्रयोगस्थली बनाते हुए पुलिस चौकियां स्थापित की जाने लगीं, वर्षों से संघर्षों द्वारा अर्जित छात्रसंघ को भंग किया जाने लगा, आई.ए.एस., आई.पी. एस. व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कुलपति नियुक्त किया जाने लगा। अभी कुछ समय पहले आगरा वि.वि. का कुलपति एक आइ.पी.एस. अधिकारी को बनाया गया था। पहले तो विश्वविद्यालयों में छात्रों की शैक्षिक-रचनात्मक जागृति के लिए शिक्षाविदों को कुलपति बनाया जाता था, लेकिन अब छात्रों को 'डील' करने, दबाने-कुचलने और दमन करने के लिए प्रशासनिक कामकाज निपटाने में निपुण अधिकारियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में गैर जनतांत्रीकरण और निरंकुशता की नयी खतरनाक प्रवृत्ति का द्योतक है।

गो.वि.वि. छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों की भागीदारी के प्रति एक और बैरियर लगाया गया है कि प्रत्याशी किसी आपराधिक घटना में लिप्त और दण्डित न हुआ हो (भले ही वह बेकसूर और निर्दोष रहा हो)। खैर, न्याय-व्यवस्था का खुलासा क्या किया जाए अपने कार्यवाहक कार्यकाल में निहत्थे व निर्दोष छात्र-छात्राओं पर बर्बर व जालिमाना लाठीचार्ज करवाने वाले कुलपति महोदय जब खुद ही स्वयंभू न्यायाधीश बन बैठे हैं। एक अपराधी के हाथ में कानून की किताब यानि बन्दर के हाथ में उस्तरा ! एक-दूसरे के प्रति अन्तरविरोधी चरित्र वाले बिन्दुओं से भरी इस नयी आचार संहिता में एक और हास्यास्पद बात यह है कि प्रत्याशी को किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा उसकी युवा शाखा

के द्वारा आगामी छात्रसंघ चुनाव में कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यह भी एक शगूफेबाजी है। मान लिया जाए कि 'आन दि टेबुल' कोई सहायता नहीं प्राप्त है। लेकिन 'अन्डर दि टेबुल' मिलने वाली सहायता को कुलपति महोदय की कौन-सी पारदर्शी दृष्टि देख पायेंगी ? खैर कुलपति महोदय तो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी हैं जो टेबुल के नीचे, दीवार के आरपार और जमीन के अन्दर तक देख सकते हैं। हम तो चकित, विस्मित हैं कुलपति महोदय की दृष्टि की भेदनक्षमता पर !

गो.वि.वि. छात्रसंघ की नयी आचार संहिता के मुद्दे पर तमाम छात्रनेता परस्पर विरोध और समर्थन के दो खेमों में बंट चुके हैं। एक खेमे को आगामी चुनाव में दावेदारी की जमीन खाली मिलने की खुशी है, तो दूसरे को अपनी दावेदारी खो देने का गम। दोनों में से किसी को छात्रहितों की चिन्ता नहीं है, दोनों अपना-अपना राग अलाप रहे हैं। वि.वि. प्रशासन के इस कठोर कदम के खिलाफ महज तकनीकी और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इलाहाबाद-लखनऊ की अदालतों की दौड़ लगा रहे हैं और छात्र राजनीति के गैरजनतांत्रीकरण के खिलाफ संघर्ष की सिर्फ कवायदें कर आन्दोलन को एक संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। जबकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार भी एक हद तक वही हैं। छात्र राजनीति के विस्तृत, व्यापक और गम्भीर उद्देश्यों को संकीर्ण कर परिसर को एम.पी., एम.एल.ए. बनने के ट्रेनिंग सेण्टर बनाने, निहित स्वार्थों की पूर्ति करने, ठेका-पट्टी और दबदबा कायम कर आम छात्रों की राजनीतिक चेतना को भोंथरा बनाकर छात्र राजनीति को पतनशीलता के कगार पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार छात्रनेताओं की वजह से निरंकुशता की जमीन तैयार हो रही है।

नयी आचार संहिता का समर्थन आम छात्रों का एक हिस्सा भी कर रहा है, जो छात्रों में पनप रही अराजनीतिकरण, कैरियरवाद, आत्मकेन्द्रण एवं असंपृक्त सोच की प्रवृत्ति को बताता है। राजनीति से दूर... शान्त बैठकर... अध्ययनरत और आज के कटु सामाजिक यथार्थ से कटकर व्यक्तिगत उन्नति के सपने देखने वाले और पढ़ाई की एक-एक सीढ़ी चढ़ते जाने के साथ-साथ अपने एक-एक सपनों को अपनी जिन्दा आंखों के सामने दम तोड़ते देख एक अंधे भविष्य में जीने वाले ऐसे छात्र-नौजवान निरंकुशता को सामाजिक आधार मुहैया कराते हैं, उसके लिए खाद-पानी का काम करते हैं। निराशा, नियतिवाद और भाग्यवाद की ऐसी ही स्थिति में हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उदय होता है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि गो.वि.वि. प्रशासन छात्रसंघ की नयी आचार संहिता लागू व उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी है, जो खाकी वर्दी और लाठी-डण्डे के दम पर आम छात्रों को निर्देशित कर परिसर में "जनतंत्र" लागू करवायेगा -एक निर्देशित जनतंत्र।

इसलिए आज जरूरत है छात्रों-नौजवानों को हताशा-निराशा की अपनी आत्मघाती मानसिकता से बाहर निकलने की, संघर्षों से अर्जित अपने जनतांत्रिक अधिकारों के छिनते जाने के खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़ने की और एक व्यापक क्रान्तिकारी छात्र-युवा आन्दोलन खड़ा करने की। आज परिसरों में बढ़ रही निरंकुशता की प्रवृत्ति का जबरदस्त और कारगर प्रतिरोध करना होगा। परिवर्तनकामी विचारों की वाहक शक्तियों को एक मंच पर आकर अभिव्यक्ति की आजादी पर खुला हमला बोलने के खिलाफ जवाबी हमला बोलकर आम छात्रों-नौजवानों की क्रांतिकारी एकजुटता कायम करनी होगी। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही निरंकुशता व गैरजनतांत्रीकरण की प्रवृत्ति के खिलाफ एकजुट होकर दमन विरोधी एक छात्रमोर्चा बनाना होगा और इस लड़ाई को एक सही और व्यापक परिप्रेक्ष्य देकर समाज के अन्य क्षेत्रों में बढ़ रही निरंकुशता की प्रवृत्ति के खिलाफ अन्य मेहनतकश वर्गों को साथ में लेना होगा, तभी जाकर इसके खिलाफ एक कारगर और मुकम्मिल लड़ाई लड़ी जा सकती है। छात्रों-नौजवानों के आदर्श नायक शहीदे आज़म भगत सिंह ने कहा भी है कि **"विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ पालिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करना चाहिए... यह सच है कि स्वतंत्रता के युद्ध में विद्यर्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचायेंगे ?"**

शिक्षा का बाजारीकरण करते जाने से, फीसें बढ़ाने, सीटे घटाने तथा अन्य उपायों द्वारा उच्च शिक्षा को अमीरों की बपौती बनाते जाने से आम छात्र-नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर लाकर खड़ा किया जा रहा है। इसे व्यापक छात्र-युवा आबादी के अन्दर असंतोष घनीभूत होता जा रहा है। भूमण्डलीकरण के दौर की तमाम नीतियों से पूरा समाज एक भीषण विस्फोट की ओर खिसकता जा रहा है। इस भावी विस्फोट में भाग लेकर और उसे एक सुनिश्चित दिशा देकर क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की जिम्मेदारी संवेदनशील और इन्साफपसन्द छात्रों-नौजवानों के कन्धों पर है, जो अपनी पूरी ताकत, समय और सर्वोत्तम शक्तियों का समर्पण कर क्रान्तिकारी परिवर्तन में भाग लेंगे। इसलिए छात्रों-नौजवानों को आज पढ़ाई करने के साथ ही लड़ाई लड़ने का भी फैसला करना होगा क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के साथ-साथ शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने व उम्मीदों-सपनों से भरपूर नौजवान जिन्दगी की चाहत की लड़ाई है।

❑